भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 551**

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

**टोल प्लाजा द्वारा अतिरिक्त वसूली**

551. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल प्लाजा को सड़क मार्ग उपयोगकर्ताओं से पैसा वसूलने की अनुमति दे रहा है, जबकि डेवलपर्स ने उनके द्वारा खर्च की गई राशि कई गुना वसूल कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टोल प्लाजा सड़क मार्ग उपयोगकर्ताओं पर बोझ बन गए हैं, क्योंकि सड़क विकास के नाम पर देश के हर कोने में टोल प्लाजा की संख्या बढ़ रही है, तथा यदि हां, तो उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या ऐसा हो रहा है कि टोल टैक्स वसूलने के उद्देश्य से अच्छी तरह से निर्मित सड़कों के साथ समानांतर सड़कें बनाई जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

**(**क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली**, 2008** और उसके संशोधन के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाता है। रियायत करार के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक लगाया जाएगा और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद**,** केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली**, 2008** के नियम **4** के उप-नियम (**2)** के तहत विनिर्दिष्ट शुल्क के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग**,** पुल**,** सुरंग या बाइपास के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तिथि पर शुल्क एकत्र किया जाएगा**,** जैसा भी मामला हो**,** इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के संबंध में**,** लगाए जाने योग्य प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग**,** पुल**,** सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के लिए स्थायी रूप से एकत्र किया जाना जारी रहेगा**,** जैसा भी मामला हो**,** इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा**,** लागू राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों और संबंधित रियायत करार के अनुसार ही स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा**,** किसी भी शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए रारा शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है। प्रयोक्ता शुल्क के भुगतान के लिए सभी रारा शुल्क प्लाजा पर फास्टैग आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण लागू किया गया है**,** जिससे प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण में बाधा नहीं होगी और शुल्क प्लाजा पर प्रतीक्षा समय में कमी आएगी।

**(**ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण मुख्यत: यातायात की भीड़भाड़ को कम करने**,** बेहतर संपर्कता और क्षेत्रीय विकास के लिए किया जाता है। यातायात अध्ययन और व्यवहार्यता आकलन के आधार पर ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है।

*****